



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

आदेश

क्रमांक/289/रीडर/जि0दण्डा0/2022

कोण्डागांव दिनांक 27/01/2022

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/185, 273/रीडर/जि0दण्डा0/2022 कोण्डागांव दिनांक 15 एवं 25 जनवरी 2022 के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, में आंशिक संशोधन करते हुए कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण स्थल की एक तिहाई क्षमता के साथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किये जाने की शर्त पर आयोजित की जाने की अनुमति होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

कोण्डागांव दिनांक 27/01/2022

पृ. क्रमांक/289-1/रीडर/जि0दण्डा0/2022
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग (जगदलपुर) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



8. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व थाना प्रभारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. समस्त कार्यालय प्रमुख.....जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधितोंको सूचनार्थ एवं पालनार्थ।




कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)